कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2022 / एफसीए / प्रमुवसं / 339 दिनांक 07/02/24

विशेषाधिकारी,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karauli (Proposal No. FP/RJ/OFC/150733/2022)

संदर्भः– राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1(35)वन / 2021 दि. 29.11.2022

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर के पत्रांक 539 दिनांक 30.01.2024 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र.स.	आक्षेप	सूचना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प न हीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी है, जो संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूति नहीं की जायेगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है जो संलग्न है।

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा दी गयी वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	FRA प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
11	भारतसरकार के पत्रांक 7–23/2012 /एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	समाचार पत्र की प्रति संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(OFC)2022/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक
प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर – 321001 (राज.)
फोन : 05644–226017, 227518 ई–मेल : ccf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

कमांक एफ ( ) 2021–22/एफसीए/मुवसभ/ 539 दिनांक 30/01/2024

निमित्त,

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी,
एफसीए, राज. जयपुर।

विषय :– Laying underground optical fiber cable along side road by open trench method within existing ROW from Rangama Talab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karauli, (Raj)
{Proposal No.- FP/RJ/OFC/150733/2022} Applied Area 0.477 hac.

संदर्भः– शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (35)वन/2021 जयपुर दिनांक 29.11.2022 एवं उप वन संरक्षक, करौली का पत्रांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2023–24/634 दिनांक 25.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा पत्रांक प. 1 (35)वन/2021 जयपुर दिनांक 39.11.2022 से सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट यूजर एजेन्सी से प्राप्त कर उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 25.01.2024 (प्रति संलग्न) से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की है :–

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर I)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर II)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
		पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर III)
4	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वंन विभाग के ही होगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर IV)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर V)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर VI)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर VII)
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा,

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
		इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर VIII)
9	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से प्रेषित अनुपालना रिपोर्ट के साथ जिला कलक्टर, करौली द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट कमांक 5152 दिनांक 14.06.2023 की छायाप्रति मय जिला स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण व उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण सहित उपलब्ध करायी गयी है। (प्रतिलिपी संलग्न एनेक्सर IX)
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दी गयी है (संलग्न एनेक्सर X)
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है"। (प्रतिलिपी संलग्न एनेक्सर XI)

अतः उप वन संरक्षक, करौली के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट दो हार्ड प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तनुसार।

भवदीय

(डॉ. टी. मोहनराज)
मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर
दिनांक

कमांक एफ ( ) 2023–24/एफसीए/मुवसभ/

प्रतिलिपी :–

1. उप वन संरक्षक, करौली को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

([illegible] करौली–322241 फोन न 07464 – [illegible] Email: [illegible])

दिनांक 25/01/2024

क्रमांक–एफ( )एफसीए/उवस/2023–24/634

निमित

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर

विषय:–Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within [illegible] ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District [illegible] FP/RJ/OFC/150733/2022

प्रसंग:–कार्यालय राजस्थान सरकार वन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(35)वन/202[illegible] दिनांक 29.11.2022 एव कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान [illegible] क्रमांक 4096–97 दिनांक 05.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कार्यालय राजस्थान [illegible] विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(35)वन/2021 जयपुर दिनांक 29.11.2022 से शर्तांधीन [illegible] जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनके पत्र क्रमांक दिनांक 24.01.2024 द्वारा प्रेषित की [illegible] कार्यालय की अभिशषा सहित 3 प्रति में निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है–

क्र.सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियो एव जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एव उनके सरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी [illegible]
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित किए जाने वाले को वृक्षे वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रयोक्ता अभिकरण [illegible] संलग्न कर दी [illegible]
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण [illegible] संलग्न कर दी गई है।
6	प्रयोक्ता अभिरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यस्त मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/ केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौराने मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, को तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।

9	प्रयोक्त अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृती की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृती पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] सर्टिफिकेट की छायाप्रति [illegible] दी गई है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] संलग्न कर दी गई है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफ.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करवाकर प्र[illegible] संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

दिनांकः– / /2024

क्रमांकः–एफ( )एफसीए/उवसं/2023–24/

प्रतिलिपि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
करौली

दिनांकः 24/01/2024

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
करौली।

विषय :— Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150733/2022 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ :— राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांकः प 1(35) वन/2021 दिनांक 29/11/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति **बिना वृक्षों के पातन सहित** बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.– महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र – The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

24/01/2024

Place: Jaipur

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Tele... Network...
Authorised Signatory

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1 (35) वन/2021 जयपुर, दिनांकः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli (FP/RJ/OFC/150733/2022)

संदर्भः–आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022/एफसीए/प्रमुवस/3452 दिनांक 17.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में OFC Cable Line हेतु **0.477** हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Digitally signed by Venkatesh Sharma
Designation : Additional Principal Chief Conservator
Date: 2022.11.29 17:37:24 IST
Reason: Approved

जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को **प्रेषित कर लेख है कि** इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
5. जिला कलेक्टर, करौली।
6. उप वन संरक्षक, करौली
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश अग्रवाल)

विशेषाधिकारी, वन

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

कार्यालय पताः– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी भवन, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या– 0141–2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in
Commanpuc/secy. Forest/Ajay--
RajKaj Ref No. : 3001614

Digitally signed by Venketesh Sharma
Designation : Additional Principal Chief Conservator
Date: 2022.11.29 17:37:24 IST
Reason: Approved

Condition No. 01

Full title of the Project : Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Tel... Networks Limited
Authorised Signatory

Condition No. 02

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Condition No. 03

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/07/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Condition No. 04

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Condition No. 05

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Condition No. 06

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Condition No.07

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Condition No.08

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic N... Limited

Authorised Signatory

Condition No. 09

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
24/01/2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Condition No. 10

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड़, जयपुर** द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Condition No. 11

Full title of the Project: Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150733/2022

Date of Proposal : 27-01-2022

Diversion Area: 0.477 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर** द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.477 ha. for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)**भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैंद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.– **महानगर टाइम्स** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र – **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur

24/01/2024

(लखन सिंह)
उप वन संरक्षक
करौली

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

र आशीर्वाद लिया। ... योगदान रहा है। जिसके 140 करोड़ भारतीय भी साक्षी बन हैं।

अजमेर में धार्मिक
और सुंदरकांड पाठ के
हुए। साथ ही कई जगहों पर
रूप से अयोध्या में हुए
की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम
प्रसारण किया गया। इस
षि घाटी स्थित सुप्रसिद्ध
दिर में विधानसभा अध्यक्ष
देवनानी ने शिरकत की।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद में भव्य शोभायात्रा में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने सांगोद ताखाजी चौक में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और श्री कोठी के बालाजी मंदिर में महाआरती और सुंदरकांड में शामिल हुए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

कार्यकर्ताओं के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखा और मंदिर में आरती की। इसके अलावा सांसद भागीरथ चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

1625 दिनांक 29.06.1996 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14.03.1997 को प्राप्त कर लिया गया था। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 219 दिनांक 27.05.2003 के द्वारा श्री श्याम लाल गुप्ता पुत्र स्व. श्री जी. एल. गुप्ता के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 24.07.2009 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री श्याम लाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 06.12.2020 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती सुशीला गुप्ता पत्नी स्व. श्री श्याम लाल गुप्ता ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तांतरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक **श्रीमती सुशीला गुप्ता पत्नी स्व. श्री श्याम लाल गुप्ता** के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

सम्पदा प्रबंधक, वृत **द्वितीय**, जयपुर

था समापन पर हुआ यज्ञ

प्राण प्रतिष्ठा
लोनी मुहाना
सोमवार को
सम्मान यज्ञ
या गया। इस
यशपाल यश
राम सम्मान
जिसमें सभी
यज्ञ स...
श्रीराम की
र पर यश ने
म मंदिर में
देश के एक
500 साल
नों के बाद
राजमान हुए
े एक सूत्र में
क डायरेक्टर
शन्स विमल

कांवट एवं मंजू मुख्य यजमान रहे। इस अवसर पर विक्रम सिंह चौहान, कृष्णा सिंह, पुनीत, रियांशी, भारत विकास परिषद के देवेश गोयल, आर्चीटैक्ट पंकज अग्रवाल, विवेक सिंह, दीपा, विशाल एवं युद्धव सिंह मौजूद रहे।

उत्तर पश्चिम रेलवे G20

खुली ई-निविदा सूचना

सं.: ईएल/118/45,46/2023-24/डब्ल्यू 6/टीएफ दिनांक: 19.01.2024 मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **क्र.सं. 1. एनआईटी संख्या: ईएल/जेपी/45/2023-24 कार्य का नाम:** Replacement of isolation switch for starting battery in power cars & Provision of High capacity IV coupler (500Amp) & 150sqmm feeder cable for AC coaches under Bulk RSP program 2022-23. **अनुमानित लागत:**1063981.56 **बयाना राशि:** 21300/- **निविदा खोलने की तिथि:**15.02.2024 **क्र.सं. 2. एनआईटी संख्या: ईएल/जेपी/46/2023-24 कार्य का नाम:** Electrical work in connection with Repairing and Replacement of main and mini pantry equipment's for two years at Jaipur coaching depot. **अनुमानित लागत:** 2044108.03 **बयाना राशि:** 40900/- **निविदा खोलने की तिथि:** 15.02.2024 **नोट:- ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय:** निविदा खोलने-की तिथि को 15:00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे के बाद **सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता: http://www.ireps.gov.in** 85-AC/24

हमें NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

र भगवान को लगाया पौषबड़ों का भोग

हानगर संवाददाता

अयोध्या के नवनिर्मित श्रीराम
ीरामलला के बालस्वरूप की
ा के उपलक्ष्य में सोमवार को
गोविंद ...दर केश्यावाला

श्योसिंहपुरा में भगवान को पौषबड़ा का भोग लगाया गया। इस अवसर पर श्रीहनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। संपूर्ण आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर लोगों ने पौषबड़ा प्रसादी पाई।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (35) वन/2021 जयपुर, दिनांक: ....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli (TP/RJ/OFC/150733/2022)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022/एफसीए/प्रमुवस/3452 दिनांक 17.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.477 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:— 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (वेंकटेश शर्मा) शासन सचिव

विभोर हुए श्रद्धालु

ा। भगवान श्रीराम का भाव
ा गया जिसमें प्रभु श्रीराम के
अद्भुत रंगोली सजाई गई।
ह रंगोली के देखकर भाव
ए।
रा स्थान के व्यवस्थापक संत
म महाराज ने बताया अपराह्न
से सुंदरकांड पाठ, हनुमान
पाठ, एवं प्रभु श्रीराम की
का आयोजन किया गया,
ड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने

भाग लिया।

अमरापुरा स्थान के बाहर निरंतर चल रहे अन्न क्षेत्र में नमकीन पुलाव, मिष्ठान्न, फल, चाय आदि का वितरण प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक किया गया। नन्हे-नन्हे बच्चों द्वारा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमानजी का किरदार निभाकर सभी का मन मोहा। स्वामी मनोहर लाल महाराज, संत मोनू राम महाराज, संत नवीन, संत गुरुदास संतों ने राम नाम का गुणगान किया।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

आम सूचना
पर्यावरण स्वीकृति अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमति दरियाव कंवर पत्नी श्री विशनसिंह, पता- ग्राम मालपुरिया, तहसील जैतारण जिला पाली की चाइना क्ले, बाल क्ले व सिलिका सैंड खनन परियोजना, खनन पट्टा सं. 07/1994 क्षेत्रफल 86. 90 हैक्टर, खसरा सं. 925-944 व 970-1001, ग्राम लिथारिया, तहसील-जैतारण, जिला पाली हेतु पर्यावरण स्वीकृति SEIAA राजस्थान के आदेश क्रमांक F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt./Project/Cat. B1(23782)/2023-24 दिनांक 16 जनवरी 2024 को जारी की गई है। जिसकी प्रतिलिपि परिवेश वेबसाइट Parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।

श्रीमति दरियाव कंवर

Piramal Finance

PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED
Regd. Office Address:- 601, 6th Floor, Amiti Building, Agastya Corporate Park,Kamani Junction, Opp. Fire Station,L.B.S. Marg, Kurla (West), Mumbai- 400070
CIN: U65910MH1984PLC032639

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the public at large that Piramal Capital & Housing Finance Limited" a Housing Finance Company registered with National Housing Bank (NHB), having its registered office at 601, 6th Floor, Amiti Building, Agastya Corporate Park, Kamani Junction, Opp. Fire Station, LBS Marg, Kurla West, Mumbai- 400070, intends to close one of its Branch Located at **Patta No. 373, Pareek Complex, Ram Gopal Bhatard Chowk, Nokha- 334803, Rajasthan** and the same shall be shifted to **First Floor, Plot no 659, N H 62, Bikaner Road, Nokha, Rajasthan- 334803** w.e.f. 23/04/2024.

The customers who are being serviced from the location which is being closed will be serviced from the new location from 23/04/2024 onward.

All the concerned persons are requested to take note of same.

Place: Nokha
Date: 23/01/2024

For Piramal Capital & Housing Finance Limited
Sd/-

राजस्थान सरकार
वन विभाग

भूमि

क्रमांक: प. 1 (35) वन/2021

जयपुर, दिनांक: ....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli (FP/RJ/OFC/150733/2022)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022/एफसीए/प्रमुवस/3452 दिनांक 17.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.477 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Laying Underground Optical Fiber Cable along side road by Open Trench method within existing ROW from Rangama Talaab, Bichipur to Harnagar and Harnagar to Khoobnagar District Karouli की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:— 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (वेंकटेश शर्मा) शासन सचिव

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

AXIS BANK

Registered Office: 'Trishul', 3rd floor, opposite Samartheswar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the borrower mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.
The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd.

Name of Borrower & Co-borrower	Description of Properties	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount in Demand Notice (in Rs.)
PRADEEP DUBE (APPLICANT)MANJUI DUBE (CO-APPLICANT)	Southern Part Of Plot No. 126, Eastern Portion Of Plot No. 126-a Situated At Patel Nagar, Masuda Road, Tehsil- Beawar, District- Ajmer, Rajasthan	23/10/2023	17-01-2024	Rs. 830535/-+ Interest and costs
BHAWER LAL BHAMBHI (APPLICANT)PREM DEVI BHAMBHI (CO-APPLICANT)	PLOT NO. 1-B-12, TILAK NAGAR SCHEME, BHILWARA RAJASTHAN	23/10/2023	18-01-2024	Rs. 274278/- + Interest and costs
Pawan Kumar (applicant)rajul Parashar (co-applicant) Lakhan Parashar(co-applicant)shubham Parashar (co-applicant)	HOUSE NO. 10, ARAJI NO. 3322, REV GRAM MALAN, SHREENATH COLONY, BHILWARA 311001	26-07-2023	18-01-2024	Rs. 2093788/- + Interest and costs
MR. RAJU NAGAR (APPLICANT) MRS. HANSA DEVI (CO-APPLICANT)	PLOT NO. 28, ARAJI NO. 108/1, SITUATED AT OM NAGAR RAJSV GRAM-HALED, BHILWARA	23-03-2023	18-01-2024	Rs. 819738/- + Interest and costs
UDAI SINGH JIRATEE (APPLICANT)MRS. MAYA BAI (CO-APPLICANT)	PLOT NO. 6/2, ARAJI NO. 1631, 1633, REV.GRAM-SENTHI, MAHESHPURAM ROAD DIST.CHITTORGARH	23/10/2023	20-01-2024	Rs. 1513284/- + Interest and costs
Rohit Laxman Jangid (applicant) Supyardevi Laxman Jangid (co-applicant)	Flat No. E-505, 5th Floor, Sawpanlok, Khasra No. 26/1338, 28,29, Jhotwara, Jaipur Rajasthan	26/07/2023	20-01-2024	Rs. 1083605/- + Interest and costs
Mr. Yusuf Khan S/o Mr. Bhawru Khan(applicant) Mrs. Ruksana Bano W/o Mr. Yusuf Khan (co-applicant)	South Part Of Plot No.111, Shri Narayan Puri, Jhotwara, Jaipur Belonging To Mrs.ruksana Bano	19-09-2023	20-01-2024	Rs. 2175061/- + Interest and costs

The above-mentioned borrower/ Co-Borrower/guarantor are hereby given a 30 days Notice to repay the amount, else the mortgaged property will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The borrower's attention is invited to the provisions of Sub Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets. **Sd/- (Authorized Officer) Axis Bank Ltd**

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office : 802, Natraj By Rustomjee, Western Express Highway, Sir M.V. Road, Andheri East, Mumbai-400069, Maharashtra
Jodhpur Branch Office: Samriddhhi, 817,A-1,First Floor, Chopsani Road, Jodhpur-342001

POSSESSION NOTICE Appendix IV (for imm

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) un Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of Power conferred u Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice (s) Issued by the Authorised officer of th mentioned herein below to repay the amount mentioned in th notice within 60 days from the date of rec failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Guarantor(s) and the public in gener of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section(4) of th rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provision respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in gen property and any dealings with the property will be subject to the charge of AHFL for an amount as mentio

S. N.	Name of the Branch / Borrower(s) /Co Borrower (s)	Description of Secured asse (immovable property)
1.	(Loan Code **04510000359; Jodhpur** Branch), Mohammedafjal Sahil **(Borrower)**, Naseem Bano **(Co-Borrower1)**, Mohd Maqsood **(Co-Borrower 2)**	BHUNDANA ROAD, SINDHI PURA PLOT Pipar City JODHPUR RAJASTHAN 342001, Jo RAJASTHAN , 342001 Bounded: East: Road, Plot No. 21 , North: Plot No. 19, South: Other L

Place: Jodhpur **Date: 23.01.2024**

AAVAS FINANCIER

(Formerly known as Au HOUSING FINANCE LIMITED) (CI
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Man

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of **AAVAS FINANCIERS LIMITE FINANCE LIMITED")** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets an 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 o 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the a within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the a of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(rules on the dates mentioned as below

Annexure-I

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Karauli.
*****

No: F.8(5)( ) Misc./Rev./2023/ 5152 Dated : 14.06.23

To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter **No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009** wherein the MoEF issued guidelines on submission of **evidences for having initiated and completed** the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on **the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes** read with MoEF's letter dated 5 **February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it has been certified that 0.477 hectares area of forest land in Village Rangma talab, bichpuri to harnagar and Harnagar to khoobnagar Forest Range Karauli proposed to be diverted in favour Of Telesonic networks Ltd. (Proposal No. FP/RJ/OFC/150733/2022) for laying of under Ground Optical Fiber Cable Work At Karauli-Mandrayal Road Dist Karauli .**

't is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2669 Hectares of forest area proposed for diversion. There are no such forest Dwellers Scheduled Tribes Persons residing in the proposed area with rights scheduled Tribe and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2 to annexure 4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed .

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: **As above**

(ANKIT KUMAR SINGH)
District Collector
Karauli (Raj.)
Dated :

No: F.8(5)( ) Misc./Rev./2023/
Copy forward to-
5- D.C.F. Karauli & RTR (Buffer) Karauli Wildlife.
6- Project Manager Telesonic networks Ltd.

District Collector Karauli

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Annexure 1

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Karauli.
*****

No: F.8(5)( ) Misc./Rev./2023/

Dated : 14.06.23

To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it has been certified that 0.477 hectares area of forest land in Village Rangma talab, bichpuri to harnagar and Harnagar to khoobnagar Forest Range Karauli proposed to be diverted in favour Of Telesonic networks Ltd. (Proposal No. FP/RJ/OFC/150733/2022) for laying of under Ground Optical Fiber Cable Work At Karauli-Mandrayal Road Dist Karauli .

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2669 Hectares of forest area proposed for diversion. There are no such forest Dwellers Scheduled Tribes Persons residing in the proposed area with rights scheduled Tribe and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 2 to annexure 4.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed .

(c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

Sd-
(ANKIT KUMAR SINGH)
District Collector
Karauli (Raj.)
Dated : 14.06.23

No: F.8(5)( ) Misc./Rev./2023/ 5153-54
Copy forward to-

5- D.C.F. Karauli & RTR (Buffer) Karauli Wildlife.
6- Project Manager Telesonic networks Ltd.

District Collector Karauli

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

कार्यालय जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) करौली

क्रमांकः—

दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.23 को अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य बिन्दु टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा रणगवां तालाब, बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर ब्लॉक करौली के बीच विद्यमान सडक के आर.ओ. डब्ल्यु में भूमिगत ओएफसी बिछाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र के लिए रणगमां तालाब से मण्डरायल रोड भूमि खसरा नम्बर 9265/2 , 9274/2, 9270/2, 9269/2, 9287/2, 9268/2, 9289/2, 9288/2 समस्त की भूमि का प्रकार बंजड–1, जंगलात एवं मण्डरायल रोड पर पुलिस लाईन की बाउन्ड्री वॉल से डूंडापुरा मोड (ससेडी) के खसरा नम्बर 772/1 किस्म गैर गुमकिन पहाड, 784/1 किस्म गैर गुमकिन पठार, 801/1 किस्म गै. मु. पठार, 823/1 किस्म गै.मु. पठार, 915/1 किस्म गै. मु. पठार काश्तकार का नाम वन विभाग एवं पटवार मण्डल हरनगर के राजस्व ग्राम बिचपुरी से राजस्व ग्राम हरनगर के बीच स्थित खसरा नम्बर 708 किस्म गै.मु. पहाड, सरकारी वन जंगलात, खसरा नम्बर 731 किस्म गैर गुमकिन पहाड़ सरकारी वन जंगलात, खसरा नम्बर 1081, 1082, 760, 1384, 1283, 1111, 1112, 1113, 1109, 1100, 1116, 1099, 1117, 1283 समस्त की किस्म जंगलात, तथा खूबनगर के खसरा नम्बर 332/1, 332/2, 616/1 जो कि सिवायचक है में आ रही भूमि के सम्बन्ध में फोरस्ट क्लीयरेन्स/वाईल्ड लाईफ क्लियरेंस हेतु आवेदन के लिए वांछित भूमि हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संसोधित नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत एफआरए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा निवेदन किया गया है। उक्त सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर गठित ग्राम स्तरीय समिति की बैठक से दिनांक 20.05.23 को अनुमोदन होकर उपखण्ड स्तर पर गठित ब्लॉक स्तरीय समिति करौली द्वारा दिनांक 26.05.233 से अनुमोदन होकर पत्रांक 242 दिनांक 26.05.23 द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर करौली के पत्रांक राजस्व/2023/5123 दिनांक 02.06.23 द्वारा टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा रणंगमा तालाब, बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर ब्लॉक करौली के बीच विद्यमान सडक के आर.ओ. डब्ल्यु. में भूमिगत ओएफसी बिछाने हेतु एफआरए जारी करवाने हेतु दिनांक 05.06.23 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सडक हेतु प्रभावित होने वाली कुल रकबा वन भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम सभा एवं उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) एवं 3(2) के अन्तर्गत कोई वनाधिकार दावा ना ही स्वीकृत किया गया है और ना ही लम्बित है। अतः

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

अभिशंषा के आधार पर इसमें दर्ज विवरणों के [illegible]
जनजाति एव अन्य परम्परागत वनवासी (वन [illegible]
3(1) एवं 3(2) के प्रावधान अनुसार वनाधिकार का [illegible]

क0स0	ग्राम	खसरा नं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	रणगमां तालाब से मण्डरायल रोड	9265 / 2, 9274 / 2, 9270 / 2, 9269 / 2, 9287 / 2, 9288 / 2, 9289 / 2, 9288 / 2	—	[illegible]	[illegible]
2.	मण्डरायल रोड पर पुलिस लाईन की बाउण्ड्री वाल से डूडापुरा मोड (ससेडी)	772 / 1, 784 / 1, 801 / 1, 823 / 1, 915 / 1	—	[illegible]	[illegible]
3.	राजस्व ग्राम विचपुरी से राजस्व ग्राम हरनगर के बीच	708, 731, 1081, 1082, 760, 1384, 1283, 1111, 1112, 1113, 1109, 1100, 1116, 1099, 1117, 1283	—	[illegible]	[illegible]
4.	हरनगर से खूबनगर पटवार मण्डल	332 / 1, 332 / 2, 616 / 1	सिवाय चक	खूबनगर हरनगर	[illegible]

(ऋषभ मंडल)
I.A.S.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्राविप्र) करौली

उपवन संरक्षक
करौली

हल्की मीना
जि.प. सदस्य

अंजू देवी
जि.प. सदस्य

राजेश मीना
जि.प. सदस्य

अध्यक्ष
जिला वनाधिकार समिति
एवं जिला कलक्टर
करौली

For Tele... Networks Limited
Authorised Signatory

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांक/विविध/2023/ 242 दिनांक 26/05/2023

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
करौली

विषय :- टेलीसोनिक नेटवर्क्स जयपुर द्वारा रणगवाँ तालाब, बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर ब्लॉक करौली के बीच विद्यमान सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने के संबंध में फोरेस्ट क्लीयरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंग :- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय करौली का पत्रांक राजस्व/2023/4348 दिनांक 04.04.2023 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स जयपुर द्वारा रणगवाँ तालाब, बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर ब्लॉक करौली के बीच विद्यमान सडक के आर.ओ.डब्ल्यू. में भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र चाहा गया है।

प्रकरण में रणगवाँ तालाब से मण्डरायल रोड वन भूमि खसरा नम्बर 9265/2, 9274/2, 9270/2, 9269/2, 9287/2, 9268/2, 9289/2, 9288/2, मण्डरायल रोड पर पुलिस लाईन की वाउण्ड्री वॉल से डूडापुरा मोड (ससेडी) के खसरा नम्बर 772/1, 784/1,801/1, 823/1, 915/1, पटवार मण्डल हरनगर के राजस्व ग्राम बिचपुरी से राजस्व गांव हरनगर के बीच खसरा नम्बर 708, 731, 1081, 1082, 760, 1384, 1283, 1111, 1112, 1113, 1109, 1100, 1116, 1099, 1117, 1283 हरनगर से खूबनगर पटवार मण्डल खूबनगर में वन विभाग का कोई खसरा नहीं है केवल खसरा नम्बर 332/1, 332/2, तथा 616/1खसरा नम्बर है जोकि सिवाय चक में स्थित है, के फोरेस्ट क्लीयरेस/वाईल्ड लाईफ क्लियरेंस हेतु डायवर्जन के लिए वांछ्त भूमि हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आज दिनांक 26.05.2023 को आयोजित की गयी।

उक्त लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली कुल रकवा वन भूमि के संबंध में ग्राम सभाओ द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की धारा 3(1) एवं 3(2) के अन्तर्गत कोई वनाधिकार दावा ना ही स्वीकृत किया गया है और ना ही लंबित हे। अतः उपर्युक्त ग्राम सभाओ द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को वास्ते अनुमोदन प्रेषित किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(प्रीति चक)
उपखण्ड अधिकारी करौली

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांक/उपाजि/करौली/राजस्व/2023/

दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान् जिला कलक्टर करौली के पत्रांक राजस्व/2023/4848 दिनांक 04.04. **2023 की अनुपालना में टेलीसोनिक** नेटवर्क्स जयपुर द्वारा रगजावों तालाब, बिचपुरी से हरनगार **तथा हरनगर से खूबनगर ब्लॉक करौली** के बीच विद्यमान सडक के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत **ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु एफ.आर.ए.** प्रमाण पत्र चाहा गया है। प्रकरण में रगजावों तालाब से **मण्डरायल रोड खसरा नम्बर** 9265/2, 9274/2, 9270/2, 9269/2, 9287/2, 9288/2. **9289/2, 9288/2, मण्डरायल रोड पर पुलिस लाईन** की वाउण्ड्री वॉल से इडापुरा रोड **(ससेडी) के खसरा नम्बर 772/1, 784/1,801/1,** 823/1, 915/1, पटवार मण्डल हरनगर **के राजस्व ग्राम बिचपुरी से राजस्व गांव हरनगर के बीच खसरा नम्बर 708,** 731, 1081. 1082, 760, 1384, 1283, 1111, 1112, 1113, 1109, 1100, 1116, 1099. 1117, 1283 **हरनगर से खूबनगर** पटवार मण्डल खूबनगर में वन विभाग का कोई खसरा **नहीं है केवल खसरा नम्बर** 332/1, 332/2, तथा 616/1 खसरा नम्बर है जोकि सिवाय चक **में स्थित हैं। के फोरेस्ट क्लीयरेंस/वाईल्ड** लाईफ क्लियरेंस हेतु डायवर्जन के लिए वांछित भूमि **हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत** अन्य वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता **अधिनियम 2006 नियम 2008** एवं संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत उपखण्ड स्तरीय **वनाधिकार समिति की बैठक आज दिनांक** 26.05.2023 को आयोजित की गयी। जिसमें निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित हुए।

उक्त लाईन बिछाने हेतु प्रभावित होने वाली कुल रकवा वन भूमि के संबंध में **ग्राम सभाओ द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार** अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन **निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008** एवं संशोधित नियम **2012 की धारा 3(1) एवं 3(2) के अन्तर्गत** कोई वनाधिकार दावा ना ही स्वीकृत किया गया **है और ना ही लंबित है। अतः उपर्युक्त ग्राम सभाओ द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार** उपखण्ड **स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन** किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकार **समिति को वास्ते अनुमोदन प्रेषित किया जाता है।**

श्री रामहरि मीना पं.स. सदस्य वार्ड नं. 23	जयसिंह मीणा श्री जय सिंह मीना पंस. सदस्य वार्ड नं. 07	श्रीमति कल्पना बैरवा पंस. सदस्य वार्ड नं. 09
विकास अधिकारी करौली	सहायक वन संरक्षक करौली	आयुक्त नगर परिषद, करौली
टेलीसोनिक नेटवर्क्स जयपुर	तहसीलदार करौली	(प्रीति चक) उपखण्ड अधिकारी करौली

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

उपस्थिति प्रपत्र

आज दिनांक 26.05.2023 (शुक्रवार) को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी / कर्मचारी / जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी / जनप्रतिनिधि	पद	मोबाईल नंबर	हस्ताक्षर
1	Preeti Chand	Sdm	702302[illegible]	[signature]
2	अनिता मीना	BDO करौली	9001608230	[signature]
3	संदीप कुमार जैन	T.D.A.	9461138963	[signature]
4	विक्रम सिंह मीना	ACF	9829664117	[signature]
5	चेतन प्रकाश गर्ग	J.En	7891393721	Chetan
6	AKHIL SHARMA		8619433902	[signature]
7.	श्रीजय सिंह मीना	प०स० वार्ड न० 07	8696712471	जयसिंह मीना
8.	श्रीमती कल्पना बैरवा	प०स० वार्ड न० 9	9610639467	कल्पना

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

ग्राम सभा दिनांक 20/5/2023

आयोजित जिला परिषद के पत्रांक दिनांक 11-5-2023 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौली के पत्रांक 4048 दिनांक 4.4.2023 की अनुपालना में टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत हरनगर के राजस्व गांव किचपुरी भीकमपुरा, हरनगर के बीच विद्यमान सड़क के किनारे आर.ओ. डब्लू में भूमिगत ओएफसी बिछान हेतु फोरेस्ट राइट अधिनियम 2006 के तहत फोरेस्ट क्लियरेन्स हेतु ग्रामसभा द्वारा वन अधिकार समिति के द्वारा FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है एफ आर ए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ग्रामपंचायत हरनगर में सरपंच साहिबा श्रीमति निर्मला देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम कोरम पूर्ण होने पर गत ग्राम सभा की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया तत्पश्चात ग्राम की ग्राम सभा कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं ① आज दिनांक 20/5/2023 को ग्रामसभा में ग्रामवासियों एवं वन अधिकार समिति के सदस्यों को सरपंच के द्वारा अवगत कराया गया कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत हरनगर के राजस्व किचपुरी, भीकमपुरा व हरनगर के रास्ते सड़क रास्तो के किनारे-किनारे आर ओ डब्लू में भूमिगत ओएफसी लाइन बिछाने हेतु फोरेस्ट राइट अधिनियम 2006 के तहत फोरेस्ट क्लियरेन्स हेतु ग्रामसभा में वन अधिकार समिति के द्वारा FRA प्रमाण ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना है।

ग्राम पंचायत हरनगर के राजस्व गांव किचपुरी के बीच निम्न ख.नं. आते है —

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा	किस्म
①	708	118.93-62	गै.मु.पहाड़
②	731	103.4503	

[illegible] सड़क रास्ते पर [illegible]

राजस्व ग्राम हरनगर आने वाले रास्ते पर [illegible]

(1)	1081	101-11	जंगलात

साकरा से रघुनगर जाने वाले रास्ते पर स्थित राजस्व गांव भीकापुरा के ख. नं.

क्र.	ख.नं.	रकबा	किस्म
(1)	1111	1-03 बीघा	जंगलात
2	1112	~~6-8-05~~	〃—
3	1113	44-11	〃—
(4)	1109	77-05	〃—
(5)	1100	97-16	〃—
(6)	1116	130	〃—
(7)	1099	24.17	〃—
(8)	1117	26.12	〃—
(9)	1283	20.17	गै.मु. पहाड

उक्त सारणी अनुसार ग्राम पंचायत हरनगर के राजस्व गांवों के ख.नं. में स्थित भूमि में होकर ~~[illegible]~~ ओएफसी लाइन सड़क के किनारे-किनारे होकर गुजरेगी। उक्त जमीनों के ख.नं. के बारे में ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों एवं वन अधिकार समिति के बीच किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति / दावा एतराज व्यक्त करने हेतु प्रस्ताव रखा।

इस सम्बन्ध में ग्राम सभा कार्यवाही मियाद समय के अन्दर किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कोई भी दावा आपत्ति एतराज ग्राम के समक्ष नहीं रखा।

अतः ग्राम पंचायत हरनगर ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर कम्पनी को ग्राम पंचायत हरनगर के राजस्व गांव बिचपुरी, भीकापुरा, हरनगर में स्थित ख.नं. में भूमिगत ओएफसी केबल डालने हेतु [illegible]
(फारेस्ट क्लियरेंस) [illegible]

अन्त में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज की आम सभा कार्यवाही धन्यवाद समाप्त की गई।

[illegible]
[illegible] मीना
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत [illegible]
पं०स० करौली जिला-करौली

बिलासी
बिलासी देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
पं०स० [illegible]

लक्ष्मी सुखदेवी [illegible]

[illegible] राकेश [illegible]

पिन्टू [illegible] रामवीर

निरंजन दिनेश मोहन

लक्ष्मण बनेसिंह

राजेन्द्र बीरसिंह

गुड्डी

भानु जाटोन

राम कुमार

कुबेर

मुनेश

नरेश

श्रीमोहन

प्रकाश

मदन

रामकुमार

मनोज कुमार माली

बल्लू

Ltmi

पोखी

ग्राम सभा   दिनांक 20/05/2023

कार्यालय जिला परिषद करौली के पत्रांक 247 दि.- 11-05-2023 एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय करौली के पत्रांक- 4848 दि.- 04/04/2023 की अनुपालना में टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा रणगवां तालाब बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर के बीच विद्यमान सड़क के R.O.W. में भूमिगत OFC बिछाने हेतु फोरेस्ट क्लीयरेन्स हेतु F.R.A. प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत सलेडी में ग्राम सभा के तहत ग्राम स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच साहिबा श्रीमति रवीना के द्वारा किया गया।

सर्वप्रथम कोरम पूर्ण होने पर गत बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया, तत्पश्चात आज की ग्राम सभा की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं.-01

आज दिनांक 20/05/2023 को ग्राम सभा के समक्ष सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के समस्त वनाधिकारी समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि टेलिसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा रणगवां तालाब बिचपुरी से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर के बीच विद्यमान सड़क के किनारे R.O.W. में भूमिगत O.F.C बिछाने हेतु F.R.A. प्रमाण पत्र चाहा गया है। ग्राम पंचायत सलेडी में F.R.A प्रमाण पत्र निम्नानुसार गांवों के खसरा नंम्बर का चाहा गया है।

क्र.सं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
[illegible]	112/1	9.2056 हैक्टेयर	गैर मुमकिन पहाड़
2	784/2	14.1750 हैक्टेयर	गै.मु. पहाड़

ग्राम विकास अधिकारी
करौली (राज.)

रवीना
सरपंच
ग्राम पं. सलेडी (करौ

3.	801/1	8.5480 हैक्टेयर	गै. मु. पहार
4.	823/1	16.6408 हैक्टेयर	गै. मु. पहार
5	915/1	40.4640 हैक्टेयर	गै. मु. पहार

उक्त सारणी अनुसार गौवों मे भूमिगत O.F.C लाईन डालने हेतु सर्वसाधारण ग्राम वासियों के समक्ष ग्राम सभा मे आपत्ती / दावा एतराज करने हेतु प्रस्ताव रखा। इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा [illegible] समय मे किसी भी व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई भी आपत्ति / दावा, एतराज ग्राम सभा मे पेश नही किया गया। तत्पश्चात ग्राम सभा वनाधिकारी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि टेलीलिंक नेटवर्क्स लिमिटेड जयपुर द्वारा रणगवों तालाब बिच्चपुरी से हरनगर तथा हरनगर से रूपनगर, और ड्यूटी मुक्ति की [illegible] वाल से ड्यूडापुरा मोड सलेडी के बीच विद्यमान सड़क के किनारे भूमिगत O.F.C. बिछाने हेतु ग्राम पंचायत सलेडी वनाधिकारी समिति द्वारा F.R.A. प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

अंत मे अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से आज की ग्राम सभा की कार्यवाही को धन्यवाद सहित समाप्त की गई।

रवीना
रवीना
सरपंच
ग्राम प. सलेडी (करौली)

बाबूसिंह

रामनिवास

लतेहुरी

रामकेश

मुरारी रामबाबू रामबाबू करणसिंह

विजय

रमेसिंह

रामसिंह

ओमकारसिंह

बाबूसिंह

प्रदीप

जगदीश

रामलोहीत

रामकेश

दयाराम

रवीना
रवीना
सरपंच

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय उप समिति कुड़गांव पंचायत समिति करौली जिला करौली

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर 6
				आज दिनांक 20-5-2023 को ग्राम पंचायत	
20.5.23	राजीव गांधी सेवा केन्द्र कुड़गांव	श्री रमेश चन्द मीणा	श्री रमेश चन्द मीणा	की पंचायत बैठक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर आयोजित की गई।	
			ओमप्रकाश मीणा		
				निर्वाचन अध्यक्ष महोदय श्री रमेश चन्द मीणा द्वारा	
			लीलो माली	गत बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात आज की बैठक की	
			निरंजन कश्यप	कार्यवाही शुरू की गई।	
			बाबूलाल रैगर	प्र.1) सरपंच रमेश चन्द मीणा द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को ग्राम पंचायत के सभी गांवों के मुख्य मार्ग पर हाईमास्ट लाईट लगवाने हेतु	

... में ... (...) डी तथा आवेदन ...
आवेदक लोगों द्वारा योजनाओं का लाभ उठाने की — अपील की गयी। — ...

प्रस्ताव ... : कार्यालय जिला परिषद करौली के पत्रांक 247 दिनांक ... 23 एवं ... जिला कलेक्टर ... करौली के पत्रांक 4848 दिनांक 4.4.23 की ... में ... नेटवर्क लिमिटेड ... द्वारा ... से ... के बीच ... हेतु ... उत्तर पत्र ... गया है ... उत्तर पत्र जारी करवाने ... ग्राम पंचायत ... के ... की बैठक का आयोजन किया गया। ... की ... द्वारा किया गया। — ...

निर्णय: ... नेटवर्क लिमिटेड ... द्वारा ... →

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय पंच समिति .... सुखनार .... पंचायत समिति .... [illegible] .... जिला ....

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4	बैठक की कार्यवाही का विवरण 5
				~~[illegible]~~
				तालाब [illegible], [illegible], सुखनार के बीच
				[illegible] के किनारे आर. सी. [illegible]
				[illegible] हेतु [illegible]
				[illegible] ग्राम पंचायत सुखनार
				[illegible]
				[illegible]

क्र.	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म
1	सुखनार	1005/2	21.0539	[illegible]
2	—"—	1026/2	10.2351	—"—
3	—"—	1047/2	1.1001	[illegible]
4	—"—	1062	5.0590	[illegible]

6	—	127/1	0.0126	— " —	लोरवल
7	—	1127/2	405.4746	— " —	
8	—	114/2	151.1078	— " —	
9	—	115	0.8817	गै.उ. पहाड	किरोडी
10	—	116	0.2329	गै.उ. बेहड़	
11	—	1418/2	6.0696	गै.उ. पहाड़	
12	—	145/1	17.1213	— " —	बिरलामाईक
13	—	151/1	10.6218	— " —	
14	—	169	4.1981	गै.उ. बेहड़	
15	—	178/1	0.0632	गै.उ. पहाड़	
16	—	146/2	88.4897	गै.उ. पहाड़	
17	—	187/2	10.3689	— " —	
18	—	191/2	136.6845	— " —	
19	—	191/3	10.3689	— " —	आकुर
20	—	3	0.9104	गै.उ. नाला	
21	—	6/2	0.2063	— " —	
22	—	60/2	0.1391	— " —	
23	—	616/2	3.4577	गै.उ. पहाड़.	
24.	—	64/2	5.8799	गै.उ. नाला	

प्रपत्र संख्या 24 (देखिये नियम 164)

पंचो की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर

पंचायत/न्याय पंचायत समिति .... पंचायत समिति . ... जिला ....

बैठक होने की तारीख 1	बैठक का स्थान 2	पंच/सरपंच का नाम 3	उपस्थित सदस्यों के नाम 4		बैठक की कार्यवाही का विवरण 5			
			25	छपूरगाट	65	0.5437	गै.मु. नाला	२०१...
			26	-"-	65/2	4.6157	गै.मु. पहाड़	
			27	-"-	66/2	5.8546	-"-	
			28	-"-	67/2	0.7840	गै.मु. नाला	
			29	-"-	68/2	0.2524	गै.मु. पहाड़	
			30	-"-	68/3	9.1676	गै.मु. पहाड़	HK...
			31	-"-	69/2	0.0885	गै.मु. पहाड़	
			32	-"-	76	2.1876	-"-	
			33	-"-	824/2	51.0858	-"-	रा.म.सिं
			34	-"-	951/2	11.1276	-"-	
			35	-"-	976/2	15.7901	-"-	
			36	-"-	977	0.2203	-"-	

38	—"—	979	0.3117	—"—	
39	—"—	980	10.8339	—"—	
ओरेम्हं मारवी के मोलीटेम्ट उमराम्नं. 332/1, 332/2, व 616/1 शिवाचक क्षेत्र के हैं					सुनील

उक्त मारवी [illegible] गायों के [illegible] हेतु [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] किया गया।

[illegible]

श्री मान तहसीलदार महोदय
करौली

विषय - फोरेस्ट राईट अधिनियम 2006 के अन्तर्गत रनगवाँ तालाब, पि.प. से हरनगर तथा हरनगर से खूबनगर के बीच विद्यमान सड़क आर. ओ. डब्ल्यू में भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु फोरेस्ट क्लीयरेंस हेतु एफ. आर. ए. प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में भूमिगत ओ. गुजरने वाले रूट के खसरा नम्बर मय जमाबन्दी नक्शा ट्रेस कराने बाबत ।

प्रसंग - कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली आदेश क्रमांक/ विविध/202 / दि० 17/05/2023

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवार मण्डल खूबनगर के राजस्व ग्राम खूबनगर के खसरा नम्बर 332/1, 332 एवं 616/1 कुल तीन खसरे राजस्व ग्राम खूबनगर के सीमा से मोबाइल टावर के बीच [illegible] 3... उक्त तीनो खसरो में सड़क बनी हुई है।

अतः उक्त रिपोर्ट मय उक्त खसरो की [illegible] सूची [illegible] के श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

(हस्ताक्षर)
प० खूबनगर
25/5/2023

सूची

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	नाम काश्तकार
332/1	17.6145 है०	गै.मु. पटपड़ा	राज. सरकार (सिवायचक)
332/2	0.7587 है०	गै.मु. आबादी	—"— (—"—)
616/1	19.3721 है०	गै.मु. पटपड़ा	—"— (—"—)